

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, भागलपुर

पत्रांक - 880

/भागलपुर

दिनांक - 21/06/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, भागलपुर।

सेवा में,

Sri Rambadan Singh
Shambhuganj, Banka

विषय : पथ निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गुणवत्ता पूर्ण पंचवर्षीय
अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर पूर्ण करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना शीर्ष PMGSY के अधीन Kiranpur to Doradih
(BR-06R-317), जिसकी लंबाई- 2.75 कि०मी० है, का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के
बाद पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य भी करना एकराररित है।

अतः एकरारनामा के प्रावधान एवं मानक के अनुरूप तीन दिनों के अन्दर
अनुरक्षण कार्य पूर्ण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि
आपके द्वारा कार्य करने में शिथिलता या असमर्थता के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया
जाता है, तो आपके एकरारनामा को विखण्डित करने एवं अग्रधन तथा SD, PSD की
राशि जब्त करते हुये निबंधन को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
आपके द्वारा निर्धारित समय में अनुरक्षण कार्य नहीं करने की स्थिति में पंचवर्षीय
अनुरक्षण का कार्य विभागीय तौर पर संपादित किया जायेगा और कराये जाने वाले
अनुरक्षण कार्य में होने वाले व्यय की राशि भी आपसे वसूल की जायेगी।

इसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन


21/06/21
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, भागलपुर